निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 29/2013 दावा
दायरा दिनांक :– 01.04.2013
निर्णय दिनांक :– 18.05.2017

उनवान

1. गंगाराम पुत्र स्व0 मथुरालाल जाति काछी निवासी उतावली तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. माधो पुत्र स्व0 मथुरालाल जाति काछी निवासी उतावली तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी उतावली
2. धारासिंह पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी उतावली तहसील छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 18.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 345 रकबा 12 बीघा, मौजा उतावली में स्थित हैं जो वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादीगण द्वारा दिनांक 05.07.2007 को ज्वार की फसल की बुवाई कर दी है। जो करीब एक एक बालिशकी हो गई है। प्रतिवादी कम 1 व 2 वादीगण की उक्त आराजियात के उत्तरी दिशा की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत ये टेक्टर लेकर आए तथा वादीगण की आराजी में स्थित ज्वार की फयल को हांकने का प्रयास करने लगें इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से मना किया तो भी प्रतिवादी नहीं माने तथा वादीगण को धमकी दी कि वह वादीगण की उक्त आराजियात पर कब्जा करके रहेगें तथा वादीगण को बेदखल करके रहेगें। प्रतिवादी गण द्वारा यदि अवैध रू५ से वादीगण की उक्त वर्णित आराजीपर जबरन कब्जा कर लिया जो वादीगण को काफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूति असंभव होगी। प्रतिवादीगण को कोई हक हासिल नहीं है कि वह वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजियाज पर अवैध रूप से कब्जा कर लें तथा प्रतिवादी गण का इस प्रकार का कृत्य अवैध व अनाधिकृत है तथा वादीगण अधिकारी है कि प्रतिवदी गण को शाश्वत काल के लिए पाबन्द करवाए कि वह उक्त वर्णित आराजी पर न जो कब्जा करें और न ही वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 27.07.200 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी गण वादीगण की उक्त आराजियात पर स्थित ज्वार की फसल को हांक का असफल प्रयास करने लगे तथा वादीगण के मना करने के बावजूद नहीं माने तथा धमकी दी कि वह वादीगण की उक्त आराजी पर कब्जा करकें रहेगें लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हा करार दी जाती हैं। वादी गण द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी गण की ओर से जबाव दावा पेश हुआ। वादी गण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल नक्शा टेस पेश किया, नकल जमाबन्दी ग्राम उतावली संवत 2060–63 खाता संख्या 159 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू 1 गंगाराम, पी डब्ल्यू 2 माधोलाल के बयान कराये गयें। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर उपस्थित हुए। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वादीगण के संयुक्त खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी की पैमाईश करवाना चाहते हैं, जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी की पैमाईश करवाने का निवेदन किया है।

वादीगण को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम उतावली संवत 2060–63 खाता संख्या 159 के ख0नं0 345 रकबा 12 बीघा, गंगाराम, माधों के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादीगण अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी की पैमाईश कराना चाहते हैं जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी की पैमाईश कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम उतावली के ख0नं0 345 रकबा 12 बीघा, की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 29/2013	धारा अन्तर्गत 188, RTA	निर्णय दिनांक : 18.05.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. गंगाराम पुत्र स्व0 मथुरालाल जाति काछी निवासी उतावली तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
2. माधो पुत्र स्व0 मथुरालाल जाति काछी निवासी उतावली तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी उतावली
2. धारासिंह पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी उतावली तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम उतावली के ख0नं0 345 रकबा 12 बीघा, की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद दिये जाते हैं

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18.5.17 को निर्गत किया गया।

(मुद्रा: कार्यालय उपजिला कलक्टर छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.))

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद बारां
(मुद्रा: उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner